

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3073

उत्तर देने की तारीख - 20/08/2025

दिल्ली और केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं

3073 # श्री रामजी लाल सुमन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पाँच वर्षों के दौरान दिल्ली एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या 10 से 20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को आयोजित की गई भर्ती परीक्षाओं में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है;
- (ग) विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति का क्या प्रावधान है और इस प्रावधान के अंतर्गत पाँच वर्षों में कितने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;
- (घ) विश्वविद्यालय में पाँच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कितने संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है; और
- (ङ) क्या अनुभव संबंधी मानकों को मनमाने ढंग से निर्धारित करके नियुक्तियाँ की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके तहत तैयार किए गए अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा सहित अपने प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, तथा कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद आदि जैसे अपने वैधानिक निकायों के अनुमोदन से भर्ती नियम तैयार करता है। भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से की गई नियुक्ति का ब्यौरा संस्थान स्तर पर रखा जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि वह संविदा कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा के संबंध में छूट, अनुभव के वर्षों की संख्या के आधार पर भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त क्रेडिट/अंक जैसी छूट/वरीयताएं प्रदान करता है; तथापि नियुक्तियां यूजीसी और एआईसीटीई जैसी नोडल एजेंसियों के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए संबंधित भर्ती नियमों में दी गई प्रक्रिया के आधार पर की जाती हैं, जिन्हें इसके वैधानिक निकायों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। संविदा पर व्यक्तियों की नियुक्ति एक अल्पकालिक अस्थायी व्यवस्था है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए अपनाया गया है।
